रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17062020-219965
CG-DL-W-17062020-219965

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, जून 7—जून 13, 2020, शनिवार / ज्येष्ठ 17 —ज्येष्ठ 23, 1942

No. 16] NEW DELHI, JUNE 7—JUNE 13, 2020, SATURDAY/ JYAISTHA 17— JYAISTHA 23, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जून, 2020

सा.का.नि. 83.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (बहु-कार्य कर्मचारी वृंद) भर्ती अधिनियम, 2016 तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (समूह घ पद) भर्ती नियम, 1999 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में बहु कार्य कर्मचारी वृंद पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

सा.का.नि. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई, में आपूर्ति अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई, आपूर्ति अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,**अन्य पिछडे वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आपूर्ति अधिकारी	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आयु – लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हता - लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माइक्रोबायलॉजी या बॉयोकेमिस्ट्रि या बॉयोटेक्नोलॉजी या बी फार्मा या बी टेक (बायोटेक्नोलॉजी) में एम एस सी डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में बायलॉजीकल और फार्मासूटिकल उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित कार्य में 3 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है पर पद के भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-12018/07/2017-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th June, 2020

G.S.R. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Supply Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -

1. **Short title and commencement .— (1)**These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Supply Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

5. **Power to relax .**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non - selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supply Officer.	1* (2020) *Subject to variation dependant on workload	General Central Services, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Level – 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Age – Not applicable. Educational Qualification - Not applicable.	Not applicable	Deputation (Including Short Term Contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short Term Contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or statutory bodies, Public Sector Undertakings, Universities, recognised research institute:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) or equivalent in parent cadre or Department, and (b) possessing the following qualifications and experience- (i) M.Sc. Degree in Microbiology or Bio-chemistry or Bio-Technology or B.Pharma or B.Tech. (Bio-Technology) from a recognised University or institute. (ii) Three years experience in handling of supply chain of a Biologicals or Pharamacuticals products from a recognised institute. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation Including Short Term Contract basis.

[F. No. A-12018/07/2017-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

सा. का. नि. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई में उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) (समूह 'क'पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-1,77,500 रु.)	लागू नहीं होता	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए एक अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव रसायन या सूक्ष्मजीव –विज्ञान में एम	आयु – लागू नहीं होता। शैक्षिक अहर्ता- लागू नहीं होता।	एक वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पण :- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी

एस सी या एम बी एस सी डिग्री । **अनुभव :** वर्तमान उत्तम विनिर्माण अभ्यास विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों जिसके अंतर्गत अपेक्षित प्रलेखन को तैयार करना और उनका अनुरक्षण भी है, के साथ मानक जैविक उत्पादों के विनिर्माण या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव रसायन या प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव हो । **वांछनीय अर्हता :-** किसी मान्यताप्राप्त विश्विबद्यालय या संस्थान से जैव-रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान या प्रतिरक्षा–रसायन में पी एच डी ।			या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने स्तर 8 (47,600-1,51,100 रू.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (जन स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला के कार्य को देखने वाला - सदस्य 4. निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

[फा. सं. ए.-12018/08/2018-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 8th June, 2020

G.S.R. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Assistant Director (Non-Medical) in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Deputy Assistant Director (Non-Medical) (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— T he method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the pay matrix	Whether selection post or non - selection	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Assistant Director (Non-Medical).	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted. Group 'A' Post.	Level - 10, in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500)	Not applicable	35 years (Relaxable for the Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: M.Sc. or M.V.Sc. degree in Bio Chemistry or Microbiology from a recognized University. **Experience:** Three years experience in manufacturing of human biological products or in research in the field of medical Microbiology or Virology or Bio-chemistry or	Age: Not applicable. Education Qualification: Not applicable.	One year	Direct Recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filed up on deputation basis from officers under the Central Government; (a) (i) holding analogous post

Immunology along with experience in Current Good Manufacturing Practices regulations and guidelines including experience of preparing and maintaining required documentation. **Desirable Qualification:** Ph. D in Bio-chemistry or Microbiology or Immuno-chemistry from a recognised University or Institute.			on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-8 (Rs. 47,600-1,51,100)and (b) Possessing the educational and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:-** 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. — Chairman 2. Deputy Director General (Public Health), Directorate General of Health Services. —Member 3. Director, Directorate General of Health Services looking after the work of BCG Vaccine Laboratory. — Member 4. Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai. — Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/08/2018-EPI]
G. K. PILLAI, Under Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर , 16 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 87.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 एवं 2016 के अधिक्रमण में, अब तक, सहायक, वरिष्ठ परियोजना सहायक, वैयक्तिक सहायक, परियोजना वैयक्तिक सचिव एवं निजी सचिव के पदों से संबंधित मामलों में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में पदनाम तथा भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. लघु शीर्षक और आरंभ .— इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (सहायक, वरिष्ठ परियोजना सहायक, वैयक्तिक सहायक, परियोजना वैयक्तिक सचिव एवं निजी सचिव) भर्ती नियम, 2020 कहा जाए।

ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि .—उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।